न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतार सिहं पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 6/2012 (2012/00391) 225 आर.टी.ए.

1. मु. परेश्वरीदेवी पत्नि श्री विष्णुदत्त (फौत)
   1/1. विजय सिहं पुत्र स्व0 श्री विष्णुदत्त (माता स्व0 परमेश्वरीदेवी) जाति बिश्नाई, निवासी सरदारपुरा, तहसील अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
   1/2. श्रीमति सुशीला(पुत्री स्व0 परमेश्वरी धर्मपत्नि स्व0 श्री विष्णुदत्त) धर्मपत्नि श्री राजेन्द्र कुमार, जाति बिश्नोई (सींगड़) निवासी डावला, तहसील पदमपुर, जिला श्रींगगानगर–
   1/3. श्रीमति राजबाला (पुत्री स्व0 परमेश्वरी धर्मपत्नि स्व0 श्री विष्णुदत्त) धर्मपत्नि श्री अशोक कुमार, जाति बिश्नोई (सींगड़) निवासी हरीपुरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़–

–अपीलांट

बनाम

1. अवतार सिहं पुत्र श्री आत्मा सिहं (फौत)
   1/1. गुरदीप सिहं
   1/2. जगजीत सिहं
   1/3. गुरविन्द्र कौर (पुत्री स्व0 अवतार सिहं)

   पुत्रगण स्व0 श्री अवतार सिहं, जाति जटसिख, निवासीगण चाहूवाली तहसील टिबी, जिला हनुमानगढ़– धर्मपत्नि श्री प्रकाश सिहं, जाति जटसिख, निवासी गंगागढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
2. बलविन्द्र सिहं पुत्र श्री आत्मा सिहं, जाति बिश्नोई, निवासी चाहूवाला, तहसील टिबी, जिला हनुमानगढ़
3. सुखमन्दर सिहं
4. सिकन्दर सिहं

   पुत्रगण दीदार सिहं पुत्र आत्मा सिहं, जाति जटसिख, निवासी चाहूवाली तहसील टिबी, जिला हनुमानगढ़
5. काबल सिहं पुत्र श्री बन्ता सिहं पुत्र श्री आत्मा सिहं, जाति जटसिख, निवासी चाहूवाली, तहसील टिबी, जिला हनुमानगढ़
6. परमप्रीत सिहं पुत्र श्री सरजीत सिहं पुत्र आत्मा सिहं, जाति जटसिख, निवासी चाहूवाली, तहसील टिबी, जिला हनुमानगढ़

––असल रेस्पोडट

7. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़
8. उपपंजीयक संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़

––रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अन्तर्गत 225 आर.टी.ए. विरूद्व आदेश दिनांक 26.04.2012
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) टिबी

1. श्री लालचन्द वर्मा, अधिवक्ता–अपीलांट
2. श्री रमेश कुमार पुरोहित, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट

दिनांक - 21.X.2022

1. यह अपील सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) टिब्बी के आदेश दिनांक 26.04.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। अपीलांट ने अपनी अपील में यह कथन किये कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने घोषणात्मक आज्ञप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि तहसील टिबी के चक 8 ए.जी. तादादी 10.932 हैक्टेयर भूमि सन् 2001 से पूर्व आराजीराज दर्ज थी जो सन् 2001 में नत्थूमल वल्द सूरज के नाम दर्ज कर दी तथा वर्तमान यह भूमि अपीलांट के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने यह कथन किया कि उक्त भूमि जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन के अधिनियम लागू होने से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के पूर्वज आत्मा सिहं के कब्जा चला आ रहा है। इस कारण वे प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। सन् 2001 से पूर्व जब यह भूमि आराजीराज दर्ज थी तब रेस्पोडेंट ने न्यायालय सहायक कलैक्टर टिबी के समक्ष राज्य सरकार के विरूद्व वादपत्र प्रस्तुत किया था किन्तु इसी बीच यह भूमि नथमल के नाम दर्ज हो जाने के कारण यह वादपत्र नया वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति अधीन वापिस लेकर नया वादपत्र नथमल वगैरा के विरूद्व न्यायालय कलैक्टर टिबी के समक्ष प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने यह कथन किया कि इस दावा के लम्बित अवस्था में अपीलांट ने यह भूमि कतई गलत व विधि विरूद्व रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली। इस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने यह दूसरा दावा भी न्यायालय की अनुमति से वापिस लिया तथा अब तीसरी बार यह दावा नया प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेंट ने इस प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थीगण/अपीलांट के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे प्रश्नगत 10.932 हैक्टेयर भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें तथा इस भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करें।
2. अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट के इस प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. की सुदृढ़ जबावदेही प्रस्तुत की तथा यह कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में रेस्पोडेट संख्या 1 से 6 अथवा उनके पूर्वज का कोई हक व अधिकार नहीं था। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने पूर्व में राज्य सरकार के विरूद्व वादपत्र प्रस्तुत किये जिसमें वे असफल रहे। प्रश्नगत भूमि नत्थूमल की बिश्वेदारी की भूमि थी तथा उसके नाम सही व विधिनुकुल

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रूप से दर्ज हुई। उक्त भूमि राजस्व वाद संख्या 3/2010 में पारित डिक्री दिनांक 22.0.2010 के अन्तर्गत अपीलांट की खातेदारी घोषित हुई। इस निर्णय के विरूद्व रेस्पोडेंट ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 26.04.2010 को खारिज हुई। इस निर्णय के विरूद्व रेस्पोडेटं संख्या 1 से 6 ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 1970/2010 प्रस्तुत की जो दिनांक 10.05.2010 को खारिज फरमाई गई। प्रश्नगत भूमि अपीलांट के नाम राजस्व न्यायालय की डिक्री अनुसार विधिवत् रूप से दर्ज हुई है तथा एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अपीलांट ने अपने कब्जा के तथ्य को साबित करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की। इस प्रकार उच्चतर न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में जारी डिक्री यथावत् रहने से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला न होने का कथन करते हुये प्रार्थना–पत्र निरस्त करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

3. उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2012 से व्यथित होकर उक्त आदेश को निरस्त करवाने हेतु अपनी अपील में यह आधार लिये है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद में नथमल के द्वारा प्रस्तुत जबावदावा के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का कब्जा मानकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का प्रथम दृष्टया मामला मानने में भूल की है। प्रथमतः तो उक्त राजस्व वाद अबैट हो चुका था तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2010 में इस तथ्य का पूर्ण विवेचन किया है। एक अबैट हो चुके वादपत्र को कथित रूप से दिनांक 26.02.2011 को वापिस नहीं लिया जा सकता था। पूर्ववर्ती वादपत्र अबैट होने की सूरत में उसी वादकारण पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत यह वादपत्र मौजूदा वादपत्र पोषणीय नहीं था तथा अपीलांट ने अपनी अपील में यह भी आधार लिया कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद संख्या 30/76 (40/77) शीर्षक ''नत्थमल बनाम पदमचन्द आदि'' में दिनांक 21.11.77 को पारित निर्णय के विरूद्व राज्य सरकार ने राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 09.01.84 को निर्णित हुई तथा उक्त निर्णय दिनांक 21.11.77 अपास्त फरमाया गया। इस निर्णय के विरूद्व नथमल राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 32/84 प्रस्तुत की जो दिनांक 08.06.92 को स्वीकार फरमाई गई तथा नत्थमल का कब्जा प्रश्नगत भूमि पर माना। इस निर्णय के विरूद्व राज्य पक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की जो दिनांक 25.07.2000 को खारिज फरमाई गई। उक्त निर्णय दिनांक 25.07.2000 के विरूद्व राज्य सरकार ने खण्डपीठ के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जो भी दिनांक 05.07.2001 को खारिज फरमाई गई। उक्त निर्णयों की पालना में यह भूमि नत्थमल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। इस प्रकार उच्चतर न्यायालयों ने प्रश्नगत भूमि पर नत्थमल का कब्जा होना प्रमाणित माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का विवेचन किये बिना प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का कब्जा मानकर विधिक भूल की है। इसके अलावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलांट ने यह भी आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कथित फौजदारी प्रकरणों में पुलिस जांच के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा न मानकर भूल की है पुलिस की सरसरी जांच बमुकाबिल निर्णय उच्चतर न्यायालय महत्वहीन है। स्वीकृतः अपीलांट के पक्ष में सक्षम न्यायालय की डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज हुई तथा वह एक डिक्री के अन्तर्गत घोषित खातेदार है। कानूनन एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अपीलांट ने यह कथन किये कि रेस्पोडेंट का प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हित नीहित नहीं है तथा वे यह साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं कि इस भूमि किस कानूनन के अन्तर्गत अपना अधिकार स्थापित कर रहे है। प्रार्थना–पत्र के अभिवचनों के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने कथित रूप से प्रतिकूल धारण का आधार लिया है तथा यह आधार दिनांक 19.08.2002 को नत्थमल द्वारा प्रस्तुत जबावदावा से लिया है जिस वादपत्र में यह जबावदावा प्रस्तुत किया गया है वह अबैट हो चुका है तथा ऐसी जबावदेही मात्र से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का कब्जा सिद्व नहीं हो सकता। कानूनन भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती। इस कारण इन्ही आधारों अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) टिबी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2012 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को तलब कर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दौराने अपील अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी में फार्म नं 3 के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र में कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के अभिलिखित खातेदार होने के बावजूद व कब्जा के सम्बन्ध में सुदृढ़ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी फौजदारी प्रकरण में कथित पुलिस जांच के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा ना मानकर भूल की है। प्रश्नगत भूमि की पानी की पर्ची अपीलांट के नाम दर्ज ही है। रेस्पोडेंट ने अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड के आदेश दिनांक 10.06.2011 को खारिज फरमाई गई। रेस्पोडेंट अवतार सिहं ने तत्समय सिंचाई विभाग के उक्त आदेशों को सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी तथा विविध दीवानी संख्या 6/2011 के अन्तर्गत रेस्पोडेंट अवतार सिहं का प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.10.2013 को खारिज फरमाया गया। प्रश्नगत भूमि की सिंचाई विभाग की शुद्वकार खसरा गिरदावरी अपीलांट के नाम से है जो कब्जा के सम्बन्ध में सुदृढ़ साक्ष्य है तथा प्रश्नगत भूमि की माली रकम अपीलांट जमा करवाते आये है जिस फौजदारी प्रकरण में पुलिस ने सरसरी जांच कर रेस्पोडेंट का कब्जा बताया था उस फौजदारी प्रकरण संख्या 105/2012 में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ़ ने दिनांक 09.05.2015 को निर्णय फरमाते हुये अपीलांट विजय सिहं को दोषमुक्त किया है। अपीलांट सिंचाई विभाग के समक्ष चली कार्यवाही व सिविल न्यायालय के निर्णय व सिंचाई विभाग की शुद्वकार खसरा गिरदावरी तथा सेशन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 105/2012 में पारित निर्णय दिनांक 09.0.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपियां अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहते है तथा यह दस्तावेज प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट के कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में अहम दस्तावेज है जो न्यायहित में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप अभिलेख पर लिये आवश्यक है। अतः इन दस्तावेजों को अभिलेख पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेट ने अपीलांट के उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. का जबाव प्रस्तुत करते हुये पुलिस द्वारा कब्जा के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर रेस्पोडेंट का कब्जा होना स्वीकार किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपील प्रस्तुत करने से पूर्व के है इस कारण उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाना उचित नहीं है इस कारण अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज फरमाया जावे तथा साथ में रेस्पोडेंट ने भी प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 19.9.2022 को प्रस्तुत कर दस्तावेजों की चित्रप्रतियां प्रस्तुत की तथा संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किये अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद में नथमल के द्वारा प्रस्तुत जबावदावा के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का कब्जा मानकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का प्रथम दृष्टया मामला मानने में भूल की है। प्रथमतः तो उक्त राजस्व वाद अबैट हो चुका था तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2010 में इस तथ्य का पूर्ण विवेचन किया है। एक अबैट हो चुके वादपत्र को कथित रूप से दिनांक 26.02.2011 को वापिस नहीं लिया जा सकता था। पूर्ववर्ती वादपत्र अबैट होने की सूरत में उसी वादकारण पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत यह वादपत्र मौजूदा वादपत्र पोषणीय नहीं था तथा अपीलांट ने अपनी अपील में यह भी आधार लिया कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद संख्या 30/76 (40/77) शीर्षक ''नत्थमल बनाम पदमचन्द आदि'' में दिनांक 21.11.77 को पारित निर्णय के विरूद्व राज्य सरकार ने राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 09.01.84 को निर्णित हुई तथा उक्त निर्णय दिनांक 21.11.77 अपास्त फरमाया गया। इस निर्णय के विरूद्व नथमल राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 32/84 प्रस्तुत की जो दिनांक 08.06.92 को स्वीकार फरमाई गई तथा नत्थमल का कब्जा प्रश्नगत भूमि पर माना। इस निर्णय के विरूद्व राज्य पक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की जो दिनांक 25.07.2000 को खारिज फरमाई गई। उक्त निर्णय दिनांक 25.07.2000 के विरूद्व राज्य सरकार ने खण्डपीठ के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जो भी दिनांक 05.07.2001 को खारिज फरमाई गई। उक्त निर्णयों की पालना में यह भूमि नत्थमल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। इस प्रकार उच्चतर न्यायालयों ने प्रश्नगत भूमि पर नत्थमल का कब्जा होना प्रमाणित माना

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का विवेचन किये बिना प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का कब्जा मानकर विधिक भूल की है। इसके अलावा अपीलांट ने अपनी अपील में यह भी कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने कथित फौजदारी प्रकरणों में पुलिस जांच के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा न मानकर भूल की है पुलिस की सरसरी जांच बमुकाबिल निर्णय उच्चतर न्यायालय महत्वहीन है। माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 105/2012 शीर्षक "राज्य बनाम विजय सिहं आदि" में दिनांक 09.0.2015 को दोषमुक्त सिद्व किया है इस कारण रेस्पोडेंट पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का आधार नहीं ले सकता। इसके अलावा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 19.10.2011 व शुद्वकार खसरा गिरदावरी, अपीलांट के नाम की जमान्बन्दी, सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10. 2013 की प्रमाणित प्रतिलिपियों से यह साबित है कि प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं है बल्कि अपीलांट का कब्जा है। स्वीकृतः अपीलांट के पक्ष में सक्षम न्यायालय की डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज हुई तथा वह एक डिक्री के अन्तर्गत घोषित खातेदार है। कानूनन एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में यह कथन किये कि रेस्पोडेंट का प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हित नीहित नहीं है तथा रेस्पोडेंट यह साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं कि इस भूमि पर किस कानून के अन्तर्गत अपना अधिकार स्थापित कर रहे है। प्रार्थना–पत्र के अभिवेचनों के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने कथित रूप से प्रतिकूल धारण का आधार लिया है तथा यह आधार दिनांक 19.08.2002 को नत्थमल द्वारा प्रस्तुत जबावदावा से लिया है जिस वादपत्र में यह जबावदावा प्रस्तुत किया गया है वह अबैट हो चुका है तथा ऐसी जबावदेही मात्र से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का कब्जा सिद्व नहीं हो सकता। कानूनन भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है तथा जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेंट का ही कब्जा है तथा दावा अभी तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हकहकूक दावा में तय हो सकते हैं तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अधीक्षण अभियन्ता का आदेश दिनांक 19.10.2011 का निर्णय तथा पानी की पर्ची राजस्व रिकार्ड के अनुसार सिंचाई नियमों के तहत जारी की है। इस कारण अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2012 को यथावत रखा जावे।
9. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
10. बाद अवलोकन पाया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी. सी. के प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपिया है इसके विपरीत रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ दस्तावेजों की चित्रप्रतियां हैं। कानूनन बहस के प्रक्रम पर अपील में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत या तो असल पेश किये जा सकते है या फिर प्रमाणित प्रतिलिपियां। लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज चित्रप्रतियां है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिया हैं। इस कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. दिनांक 23.08.2022 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रस्तुत दस्तावेज चित्रप्रतियां होने के कारण खारिज किया जाता है।

11. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है, बाद अवलोकन पाया कि रेस्पोडेंट के दावा का आधार यह है कि प्रश्नगत भूमि जंमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने से पूर्व से उनके पिता के आधिपत्य में थी जबकि वास्तविकता यह है कि यह भूमि स्व0 श्री नत्थूमल पुत्र श्री सूरजमल की बिश्वेदारी की थी तथा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय अपील संख्या 2/84 दिनांक 08.06.1992 में इस भूमि को स्व0 श्री नत्थूमल की बिश्वेदारी की व कब्जा काश्त की होना माना गया। रेस्पोडेंट के पिता इस भूमि के बिश्वेदार नहीं थे तथा वह Z & W Abolition Act. की धारा 6 के अनुसार खातेदार घोषित होने योग्य नहीं थे। इस सम्बन्ध में अपीलांट ने न्यायदृष्टान्त 1990 (1) REV. Page 77 प्रस्तुत किया है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि "A person who is not a Biswedar can not seek declaration under section 6 of Act" प्रस्तुत किया है जो इस प्रकरण पर चस्पा होती है तथा रेस्पोडेंट इस प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में पारित निर्णयों राजस्व मण्डल अजमेर, माननीय उच्च न्यायालयों में प्रतिपादित निर्णयों से विबंधित है तथा रेस्पोडेंट उक्त निर्णयो के विपरीत जाकर कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व न होने के बावजूद प्रथम दृष्टया मामला मानने में भूल की है। अपीलांट सक्षम न्यायालय की डिक्री दिनांक 22.03.2010 के जरिये प्रश्नगत भूमि के खातेदार घोषित हुये है। इस निर्णय के विरूद्व रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 21/2010 दिनांक 26.04.2010 को खारिज हुई है व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने द्वितीय अपील संख्या 1970/2010 दिनांक 10.05.2010 को खारिज फरमाई है। अपीलाट ने न्यायदृष्टान्त RRT 2021 (1) Page 610 प्रस्तुत किया जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि "Petitioner is recorded tenant- No interest of non-petitioner in the disputed land possession of Recorded tenant is automatic. Primafacie no case made out in favour of non-petitiner" रेस्पोडेंट ने कब्जा के आधार पर प्रतिकूल धारण परिपक्व होने का कथन कर दावा/212 आर.टी.ए. प्रस्तुत की है। रेस्पोडेंट द्वारा मूलवाद जो प्रतिकूल धारण के आधार पर प्रस्तुत किया है, चलने योग्य ही नहीं है तो भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला मानने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट ने न्यायदृष्टान्त DNJ 2017 (4) PAGE 1632

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

RAJ प्रस्तुत किया जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि Rajasthan tenany Act 1955 Section 88-15-19-5(43)-Petitioner is reorded tenant- No interest of non-petitioner in the disputed land-possession of Reorded tenant –Suit for declaration of khatedri Rights on the basis of possession-Suit dismissed- petitioner Contended that their case covered u/s 15-Petitioner failed to prove that the land was ksudkasht-Suit is not maintable on the basis of adverse possession-concurrent finding of three courts below-Held petition is liable to be dismissed रेस्पोडेंट जब प्रतिकूल धारण के आधार पर मूल वाद में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तो धारा 212 आर.टी.ए. के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलांट के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलांट ने इस सम्बन्ध में न्यायदृष्टान्त RRT 2020 (1) PAGE 378 प्रस्तुत किया जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि "No suit can be decreed on the basis of adverse possession. इसके अलावा अपीलांट ने न्यायदृष्टान्त RRT 2019 (2) PAGE 979 प्रस्तुत किया जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि "Khatedari Rights can not be granted on the basis of Adverse-possession. यद्यपि अपीलांट ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा के सम्बन्ध में शुद्वकार खसरा गिरदावरी, पानी की पर्ची प्रस्तुत की है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस जांच के आधार पर रेस्पोडेंट का कब्जा माना जबकि पुलिस द्वारा दर्ज फौजदारी मुकदमा में अपीलांट दोषमुक्त हुआ है तथा अपीलांट की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद में नथमल के द्वारा प्रस्तुत जबावदावा के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का कब्जा मानकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का प्रथम दृष्टया मामला मानने में भूल की है। प्रथमतः तो उक्त राजस्व वाद अबैट हो चुका था तथा इस न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2010 में इस तथ्य का पूर्ण विवेचन किया है। एक अबैट हो चुके वादपत्र को कथित रूप से दिनांक 26.02.2011 को वापिस नहीं लिया जा सकता था। पूर्ववर्ती वादपत्र अबैट होने की सूरत में उसी वादकारण पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत यह वादपत्र मौजूदा वादपत्र पोषणीय नहीं था तथा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद संख्या 30/76 (40/77) शीर्षक "नत्थमल बनाम पदमचन्द आदि" में दिनांक 21.11.77 को पारित निर्णय के विरूद्व राज्य सरकार ने राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 09.01.84 को निर्णित हुई तथा उक्त निर्णय दिनांक 21.11.77 अपास्त फरमाया गया। इस निर्णय के विरूद्व नथमल राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 32/84 प्रस्तुत की जो दिनांक 08.06.92 को स्वीकार फरमाई गई तथा नत्थमल का कब्जा प्रश्नगत भूमि पर माना। इस निर्णय के विरूद्व राज्य पक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की जो दिनांक 25.07.2000 को खारिज फरमाई गई। उक्त निर्णय दिनांक 25.07.2000 के विरूद्व राज्य सरकार ने खण्डपीठ के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जो भी दिनांक 05.07.2001 को खारिज फरमाई गई। उक्त निर्णयों की पालना में यह भूमि नत्थमल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हुई। इस प्रकार उच्चतर न्यायालयों ने प्रश्नगत भूमि पर नत्थमल का कब्जा होना प्रमाणित माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का विवेचन किये बिना प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का कब्जा मानकर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित फौजदारी प्रकरणों में पुलिस जांच के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा न मानकर भूल की है पुलिस की सरसरी जांच बमुकाबिल निर्णय उच्चतर न्यायालय महत्वहीन है। माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 105/2012 शीर्षक "राज्य बनाम विजय सिहं आदि" में दिनांक 09.0.2015 को दोषमुक्त सिद्व किया है इस कारण रेस्पोडेंट पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का आधार नहीं ले सकता। इसके अलावा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 19.10.2011 व शुद्वकार खसरा गिरदावरी, अपीलांट के नाम की जमान्बन्दी, सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपियों से यह साबित है कि प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं है बल्कि अपीलांट का कब्जा है। स्वीकृतः अपीलांट के पक्ष में सक्षम न्यायालय की डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज हुई तथा वह एक डिक्री के अन्तर्गत घोषित खातेदार है। कानूनन एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। रेस्पोडेंट का प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हित नीहित नहीं है तथा रेस्पोडेंट यह साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं कि इस भूमि पर किस कानून के अन्तर्गत अपना अधिकार स्थापित कर रहे है। प्रार्थना–पत्र के अभिवेचनों के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने कथित रूप से प्रतिकूल धारण का आधार लिया है तथा यह आधार दिनांक 19.08.2002 को नत्थमल द्वारा प्रस्तुत जबावदावा से लिया है जिस वादपत्र में यह जबावदावा प्रस्तुत किया गया है वह अबैट हो चुका है तथा ऐसी जबावदेही मात्र से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का कब्जा सिद्व नहीं हो सकता। कानूनन भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती। उपरोक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) टिब्बी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2012 को अपास्त किये जाने योग्य है।

13. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट अपीलांट की अपील में वर्णित आधारों व बहस पर कोई ठोस प्रतिउत्तर देने में असफल रहा है। रेस्पोडेंट का यह कथन कि अपीलांट रिकार्डेड टिनेन्ट होना स्वीकार करता है तथा सिविल न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्व कोई फाईडिंग नहीं दी गई है। रेस्पोडेंट द्वारा स्वीकार किया गया है रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र प्रतिकूल धारण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा यह तथ्य दावा में ही तय होने है जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार रेस्पोडेंट अपने वादपत्र में प्रतिकूल धारण का आधार लेकर खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता। इस कारण अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा प्रतिकूल धारण पर प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त इस पर लागू होते हैं। रेस्पोडेंट ने कथनों के समर्थन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 49, आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 597, आर. आर.टी. 2004 (2) पेज 926,आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 187, आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1354, प्रस्तुत किये। जो रेस्पोडेंट का समर्थन नहीं करते है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) टिब्बी का प्र0 सं0 38/2011 अनवान अवतार सिंह आदि बनाम परमेश्वरी आदि में पारित आदेश दिनांक 26.04.2012 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.X.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/X/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़